प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 350/2007

अपीलार्थीगण(जेल में): 1. बोधन यादव, पिता-घासी राम यादव, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी-ग्राम घोंट, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. घासी राम यादव, पिता-जगन्नाथ यादव, आयु लगभग 72 वर्ष,निवासी-ग्राम घोंट, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. सत्तू उर्फ सत्यनारायण, पिता-घासी राम यादव, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी-ग्राम घोंट, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. कृष्णा यादव, पिता-घासी राम यादव, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी-ग्राम घोंट, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

5. भुवनेश्वर यादव, पिता-घासी राम यादव, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी-ग्राम घोंट, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

6. हरीश उर्फ हरिश्चंद्र, पिता-घासी राम यादव, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी-ग्राम घोंट, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

7. चुनूराम, पिता-मोहन लाल सोनवानी, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी-ग्राम घोंट, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना गेवरा नवापारा, जिला रायपुर ।

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

<u>उपस्थिति:</u> श्री अशोक वर्मा, अपीलार्थी क्रमांक 1 से 6 के अधिवक्ता।

श्री भीष्म किंगर, अपीलार्थी क्रमांक 7 के अधिवक्ता।

श्री विनोद श्रीवास्तव, राज्य/प्रत्यर्थी हेतु शासकीय अधिवक्ता।

<u>युगलपीठ:</u>

<u>माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं</u>

<u>माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>मौखिक निर्णय</u>

(दिनांक: 21-02-2011)

<u>टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति द्वारा:</u>

1. वर्तमान अपील के माध्यम से सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 397/2006 में पारित दिनांक 28-04-2007 के निर्णय और दंडादेश को चुनौती दी गई है। उक्त निर्णय के अंतर्गत, विद्वान न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को नंदकुमार यादव की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से एक विधि विरूद्ध जमाव बनाने का दोषी ठहराया है। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147 तथा धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन दोषी सिद्ध करते हुए छह माह के सश्रम कारावास और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, प्रत्येक अपीलार्थी पर 500/- रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसके भुगतान में व्यतिक्रम होने पर उन्हें तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

2. इस दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विचारण न्यायालय ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के अपीलार्थीगण को सजा सुनाकर विधिक त्रुटि की है।

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला: घटना के दिन, अर्थात् दिनांक 7-7-2006 को सुबह लगभग 7 बजे, नंदकुमार यादव (मृतक) अपने खेत में हल चला रहा था। भूमि विवाद से उत्पन्न शत्रुता के कारण, अपीलार्थी बोधन, सत्यनारायण और घासी राम वहां पहुंचे। अपीलार्थी बोधन के हाथ में क्रिकेट का बल्ला था, जबकि सत्यनारायण और घासी राम लाठियां लिए हुए थे। उन्होंने नंदकुमार के कार्य का विरोध किया, जिसके बाद बोधन ने उसके सिर पर बल्ले से हमला किया, जिससे खून बहने लगा। इसके बाद सत्यनारायण ने उसे पकड़ लिया और बोधन ने फिर से उसके दाहिने पैर और दाहिनी कलाई पर प्रहार किए। किसी तरह नंदकुमार वहां से बचकर भागा, लेकिन इन तीनों ने कार्तिक राम के खेत तक उसका पीछा किया। वहां बोधन और घासीराम ने पुनः उसके सिर पर वार किए, जिससे वह गिर पड़ा। इसके बाद बोधन ने वहां मौजूद विष्णु यादव (अ.सा.-10) से कुल्हाड़ी छीन ली। इसी दौरान, अन्य अपीलार्थी—भुवनेश्वर, कृष्णा, हरीश और चुनूराम—भी लाठियों के साथ वहां आ पहुंचे और अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन सबने लाठी, बल्ले और कुल्हाड़ी से हमला कर नंदकुमार की हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद, विष्णु यादव (अ.सा.-10) ने थाना गेवरा नवापारा में मर्ग (प्रदर्श पी-43) और प्राथमिकी (प्रदर्श पी-44) दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्षियों को समन (प्रदर्श पी-2) भेजा और मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी-3) तैयार किया। शव परीक्षण हेतु शव को नवापारा, राजिम भेजा गया, जहाँ डॉ. एस.के. तिवारी (अ.सा.-13) ने परीक्षण कर निम्नलिखित चोटें पाईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) दाहिने कान के ऊपर 1 सेमी x ¼ सेमी x ¼ सेमी का एक छोटा फटा हुआ घाव ।

(2) दाहिने टेम्पोरल (कनपटी) क्षेत्र पर 4 सेमी x ¼ सेमी का फटा हुआ ।

(3) दाहिने टेम्पोरल क्षेत्र पर ही 4 सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी का फटा हुआ ।

(4) बाएं टेम्पोरल क्षेत्र पर 2 सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी का फटा हुआ ।

उपरोक्त चोटों के नीचे की हड्डियाँ टूटी हुई पाई गईं। मृत्यु का कारण सिर में आई गंभीर चोट थी। अन्वेषण के दौरान, आरोपी बोधन को हिरासत में लिया गया, उसने बल्ले के

संबंध में प्रकटीकरण कथन प्र.पी.-5 के माध्यम से दिया और उसकी निशानदेही पर बल्ला, कुल्हाड़ी तथा खून से सने कपड़े प्र.पी.-12 के माध्यम से बरामद किए गए। आरोपी सत्तू ने लाठी और खून से सने कपड़ों के संबंध में प्रकटीकरण कथन प्र.पी.-6 के माध्यम से दिया और उसकी निशानदेही पर इन्हें प्र.पी.-13 के माध्यम से बरामद किया गया। आरोपी घासी राम ने लाठी और खून से सने कपड़ों के संबंध में प्रकटीकरण कथन प्र.पी.-7 के माध्यम से दिया और उसकी निशानदेही पर इन्हें प्र.पी.-14 के माध्यम से बरामद किया गया। आरोपी कृष्णा ने लाठी और कपड़ों के संबंध में प्रकटीकरण कथन प्र.पी.-8 के माध्यम से दिया और उसकी निशानदेही पर इन्हें प्र.पी.-15 के माध्यम से बरामद किया गया। आरोपी हरीश ने लाठी और खून से सने कपड़ों के संबंध में प्रकटीकरण कथन प्र.पी.-9 के माध्यम से दिया और उसकी निशानदेही पर इन्हें प्र.पी.-16 के माध्यम से बरामद किया गया। आरोपी भुवनेश्वर ने लाठी और खून से सने कपड़ों के संबंध में प्रकटीकरण कथन प्र.पी.-10 के माध्यम से दिया और उसकी निशानदेही पर इन्हें प्र.पी.-17 के माध्यम से बरामद किया गया। आरोपी चुनूराम ने लाठी और खून से सने कपड़ों के संबंध में प्रकटीकरण कथन प्र.पी.-11 के माध्यम से दिया और उसकी निशानदेही पर इन्हें प्र.पी.-18 के माध्यम से बरामद किया गया। आरोपियों को प्र.पी.-19 से प्र.पी.-25 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। मृतक के सिर की हड्डियों के टुकड़े, बालों और चप्पल के साथ प्र.पी.-28 के माध्यम से बरामद किए गए। घटना स्थल से एक जोड़ी चप्पल प्र.पी.-29 के माध्यम से जब्त की गई। पटवारी ने प्र.पी.-33 के माध्यम से घटना स्थल का नक्शा तैयार किया। आरोपी घासीराम का चिकित्सीय परीक्षण प्र.पी.-34 के माध्यम से किया गया और उसके बाएं अग्रबाहु पर 3 सेमी x 3 सेमी का नीलगू चोट पाया गया। आरोपी बोधन का चिकित्सीय परीक्षण प्र.पी.-35 के माध्यम से किया गया, परंतु उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। मृतक के सीलबंद कपड़े प्र.पी.-45 के माध्यम से जब्त किए गए। जब्तशुदा सामग्रियों को रासायनिक परीक्षण हेतु प्र.पी.-46 के माध्यम से भेजा गया। विष्णु यादव (आ.सा.-10) का भी चिकित्सीय परीक्षण प्र.पी.-49 के माध्यम से किया गया और उसके दाहिने पिंडली पर 2 सेमी x 2 सेमी का नीलगू पाया गया। अन्वेषण अधिकारी ने प्र.पी.-51 के माध्यम से घटना स्थल का नक्शा तैयार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत लिपिबद्ध किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, रायपुर को पार्पित कर दिया, जहाँ से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विचारण हेतु मामले को स्थानांतरण पर प्राप्त किया।

5. अभियुक्तों के दोष को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल चौदह साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तों का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया।

6. अपीलार्थी क्रमांक-7 चुनूराम ने यह बचाव लिया कि उसका न तो मृतक से और न ही अपीलार्थी क्रमांक 1 से 6 के साथ कोई संबंध है। उसने पवन हत्याकांड में मृतक नंदकुमार, परदेशी यादव और विष्णु यादव (आ.सा.-10) के विरुद्ध गवाही दी थी, जिसके कारण उसे इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। पवन उसका भाई था। मृतक नंदकुमार और विष्णु यादव (आ.सा.-10) के अपीलार्थियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे; उन्होंने उसके भाई पवन की हत्या की थी और इसी रंजिश के कारण उन्होंने उसे इस अपराध में झूठा फंसाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. अपीलार्थी क्रमांक 1 से 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक वर्मा ने आवेगपूर्ण तर्क दिया कि अपीलार्थी क्रमांक 1 से 6 ने उक्त अपराध कारित नहीं किया है और उन्हें रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। बिसौहा राम (आ.सा.-6), विष्णु यादव (आ.सा.-10) और रेनू (आ.सा.-11) के साक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित है, जो हितबद्ध और संबंधी साक्षी हैं,

अतः उनके साक्ष्य की सूक्ष्म अन्वेषण आवश्यक है। उनकी अपीलार्थियों के साथ रंजिश भी है। उनके साक्ष्यानुसार, पहले तीन अभियुक्त आए और चोटें पहुँचाईं, उसके बाद शेष चार अभियुक्त आए और चोटें पहुँचाईं। किंतु उक्त साक्षियों के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है और चक्षुदर्शी साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य में विसंगति है। इसलिए, हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं।

10. अपीलार्थी बोधन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वह घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और उसने 'अन्यत्र उपस्थिति' का बचाव लिया है। उसके अनुसार, घटना वाले दिन वह नंदकुमार के साथ नहीं था; बल्कि वह मृतक नंदकुमार, विष्णु यादव (आ.सा.-10) और परदेशी यादव के विरुद्ध 'पवन हत्या मामले' में एकमात्र गवाह था, और उसी पवन हत्या मामले में उसकी गवाही के कारण ही उसे द्वेषवश प्रश्नगत अपराध में झूठा फँसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थियों ने एक ‘विधि विरूद्ध जमाव' का गठन किया था, जिसका सामान्य उद्देश्य नंदकुमार का आपराधिक मानव वध करना था जो हत्या की श्रेणी में आता है। इसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए उन्होंने नंदकुमार की हत्या कारित की। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उपर्युक्त अनुसार विधि सम्मत रूप से दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया है।

12. पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का उचित मूल्यांकन करने हेतु, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया है।

13. वर्तमान मामले में, मृतक नंदकुमार के शरीर पर आई घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई उसकी 'मृत्यु की प्रकृति मानव वध' होने के तथ्य को अपीलार्थियों द्वारा विशेष रूप से विवादित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, डॉ. एस.के. तिवारी (आ.सा.-13) के साक्ष्य और शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.-48 से यह स्थापित होता है कि मृतक के सिर पर तीन घातक चोटें और एक अन्य चोट कान के पास पाई गई थी। इससे यह भी सिद्ध होता

है कि इन चोटों को कारित करने के दौरान मृतक पर तीन बार प्रहार किए गए थे और नंदकुमार की मृत्यु की प्रकृति पूर्णतः 'मानव वध' थी।

14. जहाँ तक प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता का संबंध है, उनकी दोषसिद्धि मुख्य रूप से बिसौहा राम (आ.सा.-6), विष्णु यादव (आ.सा.-10) और रेणु (आ.सा.-11) के मौखिक साक्ष्यों पर आधारित है।

15. बिसौहा राम (आ.सा.-6) ने प्रारंभ में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया था, जिस कारण अभियोजन ने उसे 'पक्षद्रोही' घोषित कर दिया था। तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 3 में उसने स्वीकार किया है कि आरंभ में जब मृतक नंदकुमार और विष्णु यादव (आ.सा.-10) खेत जोत रहे थे, तब अपीलार्थी बोधन, घासी राम और सत्तू बल्ले और लाठी के साथ वहां आए, उनका नंदकुमार के साथ विवाद हुआ और वह (साक्षी) वहां से भाग गया। साक्ष्य का यह भाग प्रतिपरीक्षण में खंडित नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विष्णु यादव (आ.सा.-10)—जो परदेशी यादव का पुत्र और नंदकुमार का भाई है—के साक्ष्य के अनुसार, प्रारंभ में अपीलार्थी बोधन, सत्तू और घासी राम खेत पर आए। बोधन के पास क्रिकेट का बल्ला था और शेष आरोपी लाठियों से सुज्जित थे। उन्होंने नंदकुमार के सिर पर प्रहार किया, जिसके पश्चात सत्तू ने नंदकुमार को पकड़ लिया और बोधन ने उसके पैर और कलाई पर वार किया। उसी समय, नंदकुमार वहां से भाग निकला, तो सभी आरोपियों ने उसका पीछा किया और उस पर हमला किया। बोधन ने नंदकुमार के सिर पर बल्ले से वार किया जिससे वह गिर पड़ा, जिसके बाद बोधन ने इस साक्षी (विष्णु यादव) से कुल्हाड़ी छीन ली और उसी समय शेष चार आरोपी भी वहां आ गए और सभी अपीलार्थियों ने लाठी, बल्ले और कुल्हाड़ी से नंदकुमार पर जानलेवा हमला किया। इस साक्षी के साक्ष्य की पुष्टि उसकी बहन रेणु (आ.सा.-11), जो कि 14 वर्षीय साक्षी है, के साक्ष्य से काफी हद तक होती है। उसके साक्ष्य के अनुसार, सभी अपीलार्थियों ने लाठियों से नंदकुमार को चोटें पहुँचाईं और झगड़े की आवाज सुनकर जब वह घटनास्थल के समीप आई, तो उसने घटना को देखा था। अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में उसने बताया कि जब वह मौके पर पहुँची, तो नंदकुमार का शव वहां पड़ा था और विष्णु

यादव घटनास्थल के पास खड़ा था। कंडिका 5 में उसने यह स्वीकार किया है कि उसने वही बयान दिया है जो उसके भाई और बहन द्वारा उसे बताया गया था।

17. यद्यपि विष्णु यादव (आ.सा.-10) और रेणु (आ.सा.-11) मृतक के संबंधी हैं और अपीलार्थियों के साथ उनकी शत्रुता है, परंतु उनके साक्ष्य को केवल उनके संबंधी होने या शत्रुतापूर्ण संबंधों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। उनके साक्ष्यों का सूक्ष्मता और अत्यधिक सावधानी के साथ परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

18. सामान्यतः, एक निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। संबंधी साक्षियों के साक्ष्य मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दलीप सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य**[1] के मामले में यह निर्धारित किया है कि एक साक्षी को सामान्यतः तब तक स्वतंत्र माना जाना चाहिए जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आता हो जिनके दूषित होने की संभावना हो। उक्त निर्णय का कंडिका 26 का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"26. एक साक्षी को सामान्यतः तब तक स्वतंत्र माना जाना चाहिए जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आता हो जिनके दूषित होने की संभावना हो, और जिसका सामान्यतः अर्थ यह होता है कि जब तक साक्षी के पास आरोपी के विरुद्ध शत्रुता जैसा कोई कारण न हो। साधारणतया, एक निकट संबंधी असली अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा।

---

[1] AIR 1953 SC 364

यह सच है कि जब भावनाएं तीव्र हों और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण मौजूद हो, तो असली दोषी के साथ-साथ किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति को भी मामले में घसीटने की प्रवृत्ति होती है जिसके प्रति साक्षी के मन में द्वेष या शिकायत हो। परंतु ऐसी आलोचना के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जाना अनिवार्य है। मात्र रिश्तेदारी का तथ्य सच्चाई की पूर्ण गारंटी न होने से कोसों दूर है। हालांकि, हम यहाँ कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी ये टिप्पणियां केवल उस सामान्य 'विवेक के नियम' के खंडन के लिए हैं जो हमारे समक्ष आने वाले मामलों में अक्सर प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कोई सर्वव्यापी नियम नहीं है; प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित और उसी के द्वारा प्रशासित होना चाहिए।"

19..इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मोहब्बत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] के मामले में यह निर्धारित किया है कि रिश्तेदारी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का आधार नहीं है; यदि झूठा फँसाने का तर्क दिया जाता है, तो उसके लिए आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का कंडिका 7 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"7. केवल इसलिए कि चक्षुदर्शी परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः खारिज नहीं किया जा सकता। जहाँ 'हितबद्धता' का आरोप हो, उसे स्थापित किया जाना आवश्यक है। मात्र यह कथन कि मृतक के रिश्तेदार होने के कारण वे आरोपी को झूठा फँसा सकते हैं, उस साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता जो अन्यथा सुसंगत और विश्वसनीय है। हम अभियोजन पक्ष के वृत्तांत को आगे बढ़ाने के लिए साक्षियों की हितबद्धता के तर्क पर भी विचार करेंगे। रिश्तेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को छुपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाएगा। यदि झूठा फँसाने का बचाव लिया जाता है, तो उसका आधार तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, न्यायालय को यह पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या वह ठोस और विश्वसनीय है।"

20. संबंधी साक्षियों के कथनों को केवल उनके संबंधों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके साक्ष्य का अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ सूक्ष्म परीक्षण करें।

---

[2] 2009 AIR SCW 1486

21. हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य मूल्य और उनके गहन सूक्ष्म परीक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रामानंद यादव बनाम प्रभु नाथ झा एवं अन्य**[3] के मामले के कंडिका 15 में यह टिप्पणी की है कि "परंतु साथ ही यदि रिश्तेदारों या हितबद्ध साक्षियों का परीक्षण किया जाता है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य का अधिक गहराई से विश्लेषण करे और फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्या उसमें सच्चाई की झलक है या यह मानने का कारण है कि साक्ष्य पक्षपातपूर्ण था। जब भी यह तर्क दिया जाता है कि साक्षी पक्षपाती है या उसकी आरोपी के प्रति कोई शत्रुता थी, तो इसके लिए आधार तैयार किया जाना आवश्यक है। यदि सामग्रियां यह दर्शाती हैं कि दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, तो न्यायालय को साक्ष्य का विश्लेषण अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. रिश्तेदारी के आलोक में इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्रीमती दलबीर कौर एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य**[4] के मामले के कंडिका 13 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "एक निकट संबंधी, जो किसी मामले की परिस्थितियों में एक अत्यंत स्वाभाविक साक्षी है, उसे 'हितबद्ध साक्षी' नहीं माना जा सकता। 'हितबद्ध' शब्द यह पूर्वधारणा करता है कि संबंधित व्यक्ति की इस बात में सीधी रुचि होनी चाहिए कि आरोपी को किसी न किसी तरह दोषसिद्ध किया जाए, क्योंकि उसका आरोपी के प्रति कोई विद्वेष है या किसी अन्य कारण से वह उससे शत्रुता रखता है।"

23. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अशोक कुमार चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[5] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि 'रिश्तेदारी' स्वतः ही किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती; केवल इसलिए कि

कोई साक्षी अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे "हितबद्ध" साक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 7 में इस प्रकार टिप्पणी की है: -

".....अन्यथा इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में प्रतिपादित करना त्रुटिपूर्ण होगा कि किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण न करना स्वतः ही अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष को जन्म देता है, या यह कि पीड़ित के रिश्तेदार की गवाही, जो अन्यथा विश्वसनीय है, पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाए। जहाँ तक पीड़ित के रिश्तेदारों के साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है, यह सुस्थापित है कि यद्यपि न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ सूक्ष्म परीक्षण करना चाहिए, परंतु ऐसे साक्ष्य को अभियोजन में केवल उनके रिश्तेदार होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[3] AIR 2004 SC 1053

[4] AIR 1977 SC 472

[5] AIR 2001 SC 1103

रिश्तेदारी स्वतः ही किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती। केवल इसलिए कि कोई साक्षी अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे 'हितबद्ध' साक्षी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। यह सर्वविदित है कि 'हितबद्ध' शब्द यह पूर्वधारणा करता है कि संबंधित व्यक्ति की इस बात में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि है कि आरोपी को किसी न किसी तरह दोषसिद्ध किया जाए, क्योंकि उसका आरोपी के प्रति कोई विद्वेष है या कोई अन्य अप्रत्यक्ष उद्देश्य है।"

24. **संदीप बनाम हरियाणा राज्य**[6] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जिस मामले में पीड़ित और आरोपी साक्षी के परिचित हों, वहाँ उसका साक्ष्य महत्वपूर्ण होगा और उसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा

सकता कि चूंकि साक्षी अभियुक्त के पिता से परिचित था, इसलिए वह हितबद्ध साक्षी है।

25. हितबद्ध' या 'विरोधी' साक्षियों के मामले में, न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह उनके साक्ष्यों का अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ सूक्ष्म परीक्षण करे।

26. उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार, सर्वप्रथम तीन व्यक्ति आए, उसके पश्चात चार अन्य व्यक्ति आए और उन्होंने मृतक पर हमला किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह दर्शाता है कि सभी अपीलार्थियों ने एक विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया था। विधि विरूद्ध जमाव के गठन के मामले में, एक बार जब यह सिद्ध हो जाता है कि विधि विरूद्ध जमाव बना था, तो उस जमाव का प्रत्येक सदस्य किसी भी अन्य सदस्य द्वारा किए गए कृत्य या उस जमाव के सभी सदस्यों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है; इसके लिए किसी विशिष्ट सदस्य द्वारा किसी अलग कृत्य या प्रत्यक्ष कृत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. वर्तमान मामले में, विष्णु यादव (आ.सा.-10) और रेणु (आ.सा.-11) संबंधी साक्षी हैं। बिसौहा राम (आ.सा.-6) के साक्ष्य के अनुसार, घटनास्थल पर तीन आरोपी उपस्थित थे। यहाँ तक कि विष्णु यादव (आ.सा.-10) के साक्ष्य के अनुसार भी, तीन अपीलार्थी अर्थात बोधन, सत्तू और घासी राम घटनास्थल पर मौजूद थे; उनके पास बल्ला और लाठी थी और उन्होंने मृतक पर हमला किया था। शव-परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.-48 और डॉ. एस.के. तिवारी (आ.सा.-13) के साक्ष्य के अनुसार, मृतक के सिर पर तीन घातक चोटें पाई गईं और कान के पास एक संबंधित चोट पाई गई, जो यह दर्शाती है कि मृतक पर तीन बार प्रहार किए गए थे। विष्णु यादव (आ.सा.-10) ने घटना के 45 मिनट के भीतर क्रमशः प्र.पी.-43 और प्र.पी.-44 के माध्यम से मर्ग और प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मर्ग प्र.पी.-43 और प्राथमिकी प्र.पी.-44 के अनुसार, उपर्युक्त तीन अपीलार्थी सबसे पहले मौके पर पहुँचे थे। बोधन के हाथ में क्रिकेट का बल्ला था और शेष दो आरोपियों के पास लाठियां थीं। किसी विवाद के कारण सबसे पहले बोधन ने नंदकुमार के सिर पर पीछे से

बल्ले से वार किया, जिसके बाद सत्तू ने विष्णु यादव को पकड़ लिया और उसके दाहिने पैर और दाहिनी कलाई पर प्रहार किया, उसी समय नंदकुमार गाँव की ओर भागा। उपर्युक्त तीनों अपीलार्थियों ने नंदकुमार का पीछा किया और उसे कार्तिक राम के खेत तक ले गए। अपीलार्थी बोधन ने पुनः नंदकुमार के सिर पर बल्ले से वार किया और अपीलार्थी घासीराम ने नंदकुमार के सिर पर लाठी से वार किया। जब मृतक गिर गया, तब शेष चार आरोपी आए और उन्होंने उस पर हमला किया। तत्काल दर्ज की गई मर्ग प्र.पी.-43 और प्राथमिकी प्र.पी.-44 के अनुसार, सिर की तीन मुख्य चोटें बोधन और घासीराम द्वारा सत्तू के साथ 'समान आशय' साझा करते हुए पहुँचाई गई थीं। मृतक नंदकुमार के कान पर पाई गई चोट उपर्युक्त चोटों से संबंधित चोट थी। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, मृतक के शरीर के पिछले हिस्से या अन्य भागों पर कोई चोट नहीं पाई गई, जो सात व्यक्तियों द्वारा चोट पहुँचाने की संभावना को, या उपर्युक्त तीन चोटें पहुँचाने के बाद किसी अन्य आरोपी द्वारा चोट पहुँचाने की संभावना को खारिज करता है। विष्णु यादव (आ.सा.-10) और रेणु (आ.सा.-11) संबंधी साक्षी हैं और उनके साक्ष्य के सूक्ष्म और गहन परीक्षण की आवश्यकता है। उनके साक्ष्य का वह भाग, जिसकी पुष्टि तत्काल दर्ज मर्ग प्र.पी.-43 और प्राथमिकी प्र.पी.-44 से होती है, यह प्रकट करता है कि अपीलार्थी बोधन, सत्तू और घासी राम प्रारंभ में मौके पर उपस्थित थे; उनके पास बल्ला और लाठी थी; बोधन और घासी राम ने नंदकुमार को चोटें पहुँचाई थीं और सत्तू उनकी सहायता कर रहा था। नंदकुमार के गिर जाने के बाद चार आरोपियों—अर्थात कृष्णा, भुवनेश्वर, हरीश और चुनूराम—द्वारा चोट पहुँचाने से संबंधित साक्ष्य को चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. इन परिस्थितियों में, उपर्युक्त साक्षियों का साक्ष्य नंदकुमार के गिर जाने के बाद सात व्यक्तियों द्वारा चोट पहुँचाने की सीमा तक विश्वसनीय नहीं है, परंतु उनके संपूर्ण साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त साक्षियों के साक्ष्य, जिसकी पुष्टि तत्काल दर्ज प्राथमिकी प्र.पी.-44 और मर्ग प्र.पी.-43, चिकित्सकीय साक्ष्य तथा बिसौहा राम (आ.सा.-6) के साक्ष्य से होती है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी बोधन और घासी राम ने अपीलार्थी सत्तू के साथ 'समान आशय' साझा करते हुए नंदकुमार की मानव वध वाली मृत्यु कारित की है।

29. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को उपर्युक्त रीति से दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया, परंतु उन्होंने उपर्युक्त हितबद्ध और शत्रुतापूर्ण साक्षियों के साक्ष्य, विशेष रूप से पुलिस के समक्ष उनके पहले वृत्तांत (मर्ग प्र.पी.-43 और प्राथमिकी प्र.पी.-44), जो चिकित्सकीय साक्ष्य से पूर्णतः पुष्ट होते हैं, पर विचार नहीं किया और इस प्रकार अवैधता कारित की।

30. पूर्वगामी कारणों से, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है: -

(1) अपीलार्थी कृष्णा यादव, भुवनेश्वर यादव, हरीश उर्फ हरीशचंद्र और चुनूराम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और उन्हें उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हों, तो उन्हें तत्काल स्वतंत्र किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) अपीलार्थी बोधन यादव, घासी राम यादव और सत्तू उर्फ सत्यनारायण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अंतर्गत अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(3) अपीलार्थी बोधन यादव, घासी राम यादव और सत्तू उर्फ सत्यनारायण की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, उन्हें भा.दं.सं की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड का भुगतान न करने (व्यतिक्रम) की स्थिति में, उन्हें तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

(4) अपीलार्थी घासी राम यादव, जिसे दिनांक 07-12-2009 के आदेश के माध्यम से जमानत दी गई थी, वह सत्र प्रकरण क्र. 397/2006 में शेष सजा भुगतने हेतु सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करेगा।

हस्ताक्षरित/-

(टी.पी. शर्मा)

न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/-

(आर.एल.झनवर)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ritu Sarna Gandhi (Adv.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur